# न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)
## पीठासीन अधिकारी– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई0ए0एस)

प्रकरण संख्या 26/2024

बउनवान

1. ओमप्रकाश आयु 48 वर्ष पुत्र श्री रामनाथ, जाति किराड़
2. देवीलाल आयु 68 वर्ष पुत्र श्री रामनाथ, जाति किराड़
3. भूपेन्द्र आयु 22 वर्ष पुत्र श्री हंसराज, जाति किराड़
4. लखन आयु 20 वर्ष पुत्र श्री हंसराज, जाति किराड़
5. संज्या आयु 24 वर्ष पुत्री श्री हंसराज, जाति किराड़
6. इन्द्राबाई आयु 45 पत्नि श्री हंसराज, जाति किराड़ निवासीगण ग्राम कोयला तहसील व जिला बारां (राज0)

(अपीलांटगण)

बनाम

1. रविन्द्र सिंह हाड़ा पुत्र स्व0 श्री भंवरसिंह जाति राजपूत
2. गोविन्द सिंह हाड़ा पुत्र स्व0 श्री भंवरसिंह जाति राजपूत
3. लक्ष्मण सिंह हाड़ा पुत्र श्री यशवंत सिंह हाड़ा जाति राजपूत निवासीगण ग्राम कोयला तहसील व जिला बारां (राज0)

(रेस्पोंडेंटगण)

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट

विरूद्ध आदेश कमांक राजस्व/2023/628 दिनांक 25.07.2023 न्याया. नायब तहसीलदार कोयला अंतर्गत धारा 251 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :– 1. श्री हरिओम चर्तुवेदी अभिभाषक (अपीलांट्स)

2. श्री अरविन्द सिंह हाड़ा अभिभाषक (रेस्पो0 कम 2 व 3)

निर्णय दिनांक 12.08.2024

अपीलांटगण द्वारा नायब तहसीलदार कोयला के आदेश दिनांक 25.07.2023 से अप्रसन्न होकर अपील विरूद्ध रेस्पोडेंट्स अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय की प्रस्तुत की गई कि अपीलान्टगण के खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 601 के उत्तरी ओर खसरा नंबर 602 एवं पश्चिमी ओर खसरा नंबर 608, 609 एवं दक्षिणी ओर आम रास्ता स्थित है। रेस्पोडेन्टगण के खाते की आराजी खसरा नंबर 604, 605 एवं खसरा नंबर 3651/605, खसरा नंबर 602 के पश्चिमी ओर स्थित है। खसरा नंबर 602 एवं रेस्पोडेन्टगण की आराजी के उत्तरी ओर आम रास्ता गडार जो कोयला की ओर जाती है, उक्त गडार के रास्ते से ही रेस्पोडेन्टगण अपने खाते की आराजी पर काश्त हेतु आते जाते हैं। रेस्पोडेन्टगण ने अपीलांटगण की आराजी में ग्रेवल रोड़ निर्माण कार्य करवाने बाबत नायब तहसीलदार कोयला के यहां दिनांक 28.06.2023 को एक प्रार्थना पत्र पेश किया। पुनः रास्ता खुलवाने बाबत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 10.07.2023 को पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र पर अपीलांटगण को सूचना एवं सुनवायी का अवसर दिये बिना ही राजस्व कर्मचारियों ने रेस्पोडेन्टगण से मिलीभगत कर मिथ्या रिपोर्ट तैयार करवाई, जिस पर नायब तहसीलदार कोयला ने रेस्पोडेन्टगण की आराजी में आने जाने के उपलब्ध मार्ग गडार रास्ते को अपनी रिपोर्ट में न दर्शाकर नया रास्ता कायम करने का मनमाना एवं अवैधानिक आदेश पारित किया है। अपीलाधीन उक्त आदेश धारा 251(क) आर.टी.एक्ट के प्रावधानों नियमों एवं प्रकिया विधि से असंगत विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण को सूचना एवं सुनवायी का अवसर दिये बिना रेस्पोडेन्टगण की आराजी पर आवागमन के मौजूदा रास्ते को अनदेखा कर प्रार्थीगण की आराजी से आवागमन [illegible] स्थापित नये रास्ते का आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। रेस्पोडेन्टगण ने अपीलान्ट[illegible] पड़ौसी खातेदारों की आराजी में नया रास्ता कायम करवाने हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां [illegible] में अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.एक्ट का आवेदन पेश किया, जिसकी सूचना [illegible]लांटगण को प्राप्त हो गई है। उक्त तथ्य को छिपाकर अप्रार्थीगण ने अपीलान्टगण के विरूद्ध [illegible] आदेश पारित करवा[illegible] जो मनमाना विधि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.09.02 10:34:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

विरूद्ध होने से यथावत रहने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलांटगण स्वीकार फरमायी अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, कोयला द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2023 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेंटगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। रेस्पोडेन्ट क्रम 2 व 3 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांटगण ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण को सूचना एवं सुनवायी का अवसर दिये बिना रेस्पोडेन्टगण की आराजी पर आवागमन के मौजूदा रास्ते को अनदेखा कर प्रार्थीगण की आराजी से आवागमन हेतु रेस्पोडेन्टगण के पक्ष में नया रास्ता कायम कर दिया जबकि नया रास्ता कायम करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त नहीं होने से उक्त आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। रेस्पोडेन्टगण ने अपीलान्टगण एवं अन्य पड़ौसी खातेदारों की आराजी में नया रास्ता कायम करवाने हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में माह जुलाई, 2023 में अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.एक्ट का आवेदन पेश किया जिसकी सूचना अपीलांटगण को प्राप्त हो गई है। उक्त तथ्य को छिपाकर रेस्पोडेन्टगण ने अपीलान्टगण के विरूद्ध एकतरफा आदेश पारित करवाया है जो मनमाना एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांटगण स्वीकार फरमायी अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, कोयला द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2023 निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट क्रम 2 व 3 ने अभिभाषक अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुए कथन किया कि आराजी खसरा नंबर 604 पुराना कुआं है। उक्त रास्ते का विवाद वर्ष 2015 में उत्पन्न होने पर सरपंच ग्राम पंचायत कोयला ने दिनांक 26.07.2016 को पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 09.12.2015 तथा पड़ौसियों के समक्ष सहमति से खसरा नंबर 607, 608, एवं 609 तथा 601 एवं 602 की मेड़ पर होकर आने जाने हेतु रेस्पोडेन्ट भंवरसिंह को 4 मीटर का रास्ता उपलब्ध करवाया था। अपीलान्टगण ने उक्त रास्ते को अवरूद्ध किया तब प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही करते हुए दोनो पक्षों को सुनकर अपीलाधीन आदेश जारी कर अस्थायी व्यवस्था की तथा स्थायी रास्ते हेतु प्रार्थी को नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया। उक्त कार्यवाही प्रशासनिक व्यवस्था है जो धारा 251 आर.टी.ए. के तहत नहीं की गई है इसलिये हस्तगत अपील का श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान् को नहीं होने से खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। चूंकि अपीलाधीन आदेश पारित करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.ए. प्रचलित रास्ते को ही खुलासा करवाया जा सकता है नवीन रास्ता कायम नहीं किया जा सकता तथा धारा 251 (क) आर.टी.ए. के तहत नवीन रास्ता कायम किये जाने का क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्राप्त है जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में जैरकार होना अपीलांटगण ने अपील में अंकित किया है। ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.07.2023 निरस्त किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में विचाराधीन प्रकरण अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.ए. में पारित निर्णय अनुसार अग्रिम कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 12.08.2024 को खुले इजलास में लिखाया जाकर, सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.09.02 10:34:16 IST
Reason: SelfAttested

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)